



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जोधपुर में पुलिस थाना रातानाड़ा का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 28 अप्रैल, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर आयुक्तालय को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज मारपीट के प्रकरण में मदद करने की एवज में जगदीश प्रसाद सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर आयुक्तालय द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कृपा राम खटीक निवासी खटीकों का बास, पुलिस थाना पोकरण, जिला जैसलमेर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर आयुक्तालय को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।